न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 92 / 2013 राजस्व वाद

उनवान

1. पुरणमल पिता बख्तावर रेगर उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

–– (वादीगण)

बनाम

1. नानुनाथ पिता सुवानाथ कालबेलिया उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0–(मृतक)डिलीट
2. सुशीला देवी पत्नि सीताराम खटीक उम्र वयस्क निवासी खटीक मोहल्ला सांगानेरी गेट भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
3. सीताराम पिता बरदीचन्द खटीक उम्र वयस्क निवासी खटीक मोहल्ला सांगानेरी गेट भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

–––(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्णकुमार जीनगर ....वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार.......................विपक्षी संख्या 03

दिनांक–– 04.01.2018

आज दिनांक 04.01.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार मंजूर किया जाता है, कि ग्राम रायला पटवार क्षैत्र रायला तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खतौनी संख्या 742 कुल किता 02 रकबा 32–04 बीघा में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्क्षा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी क्रम 01 से 03 को शामलात बदस्तुर पृथक करते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित / प्रमाणितशुदा नक्क्षाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–- (खतौनी संख्या 742 नया)

1. पूरणमल पिता बख्तावर रेगर रहन आई.सी.आई.सी.आई बेंक शाखा रायला (वादी)

आ0न0	रकबा
272	07-00
273 / 1	03-14-13
कुल 2	रकबा 10–14–13 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. नानूनाथ पिता सुवानाथ कालबेलिया (मृतक के बजाय सम्भावित वैद्य प्रतिनिधि), सुशीला देवी पत्नि सीताराम खटीक निवासी भीलवाडा, सीताराम पिता बरदीचन्द खटीक सा.देह खातेदार (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा
273	21-09-07
कुल 1	रकबा 21–09–07 बीघा

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी कम 01 से 03 के मध्य कम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01 से 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को मय प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव सूची के प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)